Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2018 SISRRJ | Volume 1 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

गोरखपुर क्षेत्रीय बैंक के द्वारा कोषो का प्रयोग : बैंक निधियों के लाभप्रद एवं अलाभप्रद नियोजन का एक तुलनात्मक अध्ययन (1987-1997)

डॉ. शिव पूजन यादव
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय, तिलहर शाहजहांपुर।

शोध सार- बैंक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। वे छोटी–छोटी बचतों को जनता से एकत्रित करके ऐसे क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन प्रदान करती है, जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए बैकों को पूँजी अथवा मुद्रा का व्यापारी कहा जाता है । किसी भी अन्य व्यापारिक उपक्रम की भाँति एक बैकिंग उपक्रम का भी उद्देश्य लाभ कमाना होता है। परन्तु बैकिग उपक्रम के लाभ कमाने के साथ उसका सामाजिक उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। ऐसे बैंकिंग उपक्रम जिनका स्वामित्व सार्वजनिक होता है उनका उत्तरदायित्व और अधिक हो जाता है कि वे समाज व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को और अधिक निष्ठा से सम्पादित करें। परन्तु यह सब होते हुए भी किसी बैक की कार्यक्षमता का मापदण्ड उसकी लाभदायकता ही है। अत: बैक द्वारा प्राप्त संसाधनों को इस प्रकार नियाजित किया जाना आवश्यक है। जिससे वे लाभदायक हो सके ।प्रस्तुत् आलेख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर के बैंक निधियों के लाभप्रद नियोजन एवं अलाभप्रद नियोजन का अध्ययन करता है ।

मुख्य शब्द- गोरखपुर, बैंक, लाभप्रद, नियोजन, अलाभप्रद, क्षेत्रीय बैंक, कोष, बैंक निधिय, नियोजन।

गोरखपुर क्षेत्रीय बैंक के द्वारा कोषो का प्रयोग : बैंक निधियों के लाभप्रद एवं अलाभप्रद नियोजन का एक सावधिक अध्ययन (1987-1997)

बैंक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। वे छोटी–छोटी बचतों को जनता से एकत्रित करके ऐसे क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन प्रदान करती है, जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए बैकों को पूँजी अथवा मुद्रा का व्यापारी कहा जाता है । किसी भी अन्य व्यापारिक उपक्रम की भाँति एक बैकिंग उपक्रम का भी उद्देश्य लाभ कमाना होता है। परन्तु बैकिग उपक्रम के लाभ कमाने के साथ उसका सामाजिक उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। ऐसे बैंकिंग उपक्रम जिनका स्वामित्व सार्वजनिक होता है उनका उत्तरदायित्व और अधिक हो जाता है कि वे समाज व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को और अधिक निष्ठा से सम्पादित करें। परन्तु यह सब होते हुए भी किसी बैक की कार्यक्षमता का मापदण्ड उसकी लाभदायकता ही है। अत: बैक द्वारा प्राप्त संसाधनों को इस प्रकार नियाजित किया जाना आवश्यक है। जिससे वे लाभवायक हो सके । बैक द्वारा प्राप्त निधियों और उनके विभिन्न निवेशों में सामजंस्य स्थापित किया जाता है, किसी बैंक की प्राप्त निधियाँ उसके दायित्व और निवेश उसकी सम्पत्तियाँ होती है।

शोध विधि- प्रस्तुत अध्ययन में मुख्य रूप से द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न शाखा प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके उनका मन जानने का प्रयास किया गया है । द्वितीयक संमक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रमाणित आर्थिक चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते से प्राप्त किया गया है। इसी के

साथ ही आर बी आई. द्वारा समय समय पर निर्गत किए गए निर्देशों तथ उसमें प्रमाणित आँकड़ों का भी उपयोग किया गया है।

अध्ययन की उपयोगिता – वर्तमान अंध्ययन क्षे. ग्रा. बैंक के नियोजन एवं प्रबन्ध में सहायक होगा। साथ ही वित्तीय प्रबन्धन एंव कुशलता में वृद्धि होगी । इसकी कुशलता में वृद्धि से क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त मात्रा में वित्त का प्रवाह होगा तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

बैक निधियों के स्रोत :- बैक निधियों के दो भागो में विभाजित किया जा सकता है, बैक की स्वयं के कोष एवं उधार लिए गये कोष । बैक के स्वयं के कोषो मे पूँजी संचय निधि एवं अवितरित लाभ सम्मिलित किया जाता है। उधार ली गयी निधियों में जनता से प्राप्त निक्षेप, अन्य बैंकों से लिए गये ऋण, संग्रह के लिए प्राप्त बिलों को सम्मिलित किया जाता है। व्यवसायिक बैंक अपने सहयोगी बैंकों, गैर बैंकिंग संस्थाओं तथा रिजर्व बैक से ऋण प्राप्त करते हैं, ये बैक अपने सहयोगी बैंकों से समान्यतया अल्प अवधि के लिए ऋण प्राप्त करते है। गैर बैकिग संस्थाएँ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैक, यूनिट टूस्ट, जीवन बीमा निगम आदि भी व्यावसायिक बैको को ऋण प्रदान करते हैं। रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करके अथवा पुन: कटौती की सुविधा प्रदान करके व्यावसायिक बैको को निधि प्रदान करता है। गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक गोरखपुर को नाबार्ड एवं अपने प्रायोजक भारतीय स्टेट बैंक से ऋण प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्राप्त निधियों का निवेश, बैंकों की लाभदायकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस रीति से तथा किन स्थानों पर अपनी निधियों का निवेश करते हैं। बैंकों के वित्तीय साधनों की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वह निक्षेप कितनी कुशलता से प्राप्त करते है । बैको को निक्षेपों पर ब्याज अदा करना पड़ता है। अत: बैको के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी निधियों को उससे ऊँची दर पर उधार दें अथवा विनियोजित करें जिस दर पर वे निक्षेप प्राप्त करते है । परन्तु इसके साथ ही बैकों को अर्थ सुलभता को भी ध्यान में रखना पड़ता है।बैंकर निक्षेप के बदले में नकदी की माँग जिस सीमा तक पूरा करने की स्थिति में होता है वह उसकी अर्थ सुलभता कहलाती है। यदि कोई बैंक निक्षेपकर्त्ताओं द्वारा नकदी की माँग किए जाने पर उनकी माँग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो पाता तो इसके घातक परिणाम हो सकते है। अत: एक बैकर को अपनी निधियों कोनिवेश करते समय लाभदायकता के साथ ही अर्थ सुलभता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

बैक अपनी निधियों का उपयोग गैर लाभदायक सम्पत्तियों तथा लाभदयक सम्पत्तियों में करता है। गैर लाभदायक सम्पत्तियों में निधियों के उपयोग से बैकर को कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नही होता परन्तु इस प्रकार का उपयोग व्यवसायिक आवश्यकताओं तथा वैधानिक अपेक्षाओं के कारण करना पड़ता है । इनमें मुख्य रूप से बैंकर के स्वयं के पास रोकड़ अन्य बैको के चालू खाते के अवशेष देश के केन्द्रीय बैक के पास जमा, रक्षित निधियों नकद कोष तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों जैसे भवन,फर्नीचर, मशीन आदि को सम्मिलित किया जाता है। लाभदायक सम्पत्तियों में कोषों के उपयोग से बैकर को आय प्राप्त होती है। इसमें मुख्य रूप से अन्य बैको के साथ अवशेष, माँग एवं अल्प सूचना पर शेष धन, ऋण एवं अग्रिम तथा विनियोग सम्मिलित किए जाते हैं।

लाभकर विनियोजन करते समय भी जो बात ध्यान में रखने योग्य है वह यह है कि बैंकर दूसरे के धन से व्यवसाय करता है। जो भी धन उसके पास जमा होता है वह माँग पर देय होता है। बैंको को अपनी निधियों का उपयोग इस प्रकार करना आवश्यक होता है कि वे सुरक्षित रहे तथा उनसे आय भी प्राप्त होती रहे । जिन्हें शीघ्रता से नकदी में बदला जा सके । इस कारण बैंक अपने कोष कार्यशील पूँजी को अल्पकालीन ऋणों शीघ्र विनियम साध्य सरकारी प्रतिभूतियों, कम्पनी के अंशों एवं ऋण पत्रों तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्त धन में विनियोजित करते हैं। बैक अपने कोषों को ऐसी सम्पत्तियों में विनियोजित नहीं करना चाहते जिनमें उनका धन लम्बी अवधि तक फँसा रहे।रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को सलाह देता है कि वे अपनी जमा वायित्व का 5 प्रतिशत से अधिक दीर्घ अवधि अग्रिम में विनियोजित न करे । बैको को भी व्यावसायिक संस्थानों के रूप में चलाया जाता है। अन्य व्यावसायिक संस्थानों की भाँति ही बैंकों का उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है ।

बैंक जो निक्षेप प्राप्त करते हैं उन पर ब्याज देना पड़ता है। बैंक शाखाओं के संचालन तथा प्रशासनिक कार्यो के संचालन में बैंकों को कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय का किराया तथा अन्य व्यय करने पढ़ते हैं। बैंक जो ऋण देते हैं उसके ब्याज की दर प्राप्त निक्षेपों पर अदा किए गये ब्याज दर से अपेक्षा कृत अधिक होती है। भुगतान किए गये ब्याज पर प्राप्त किए गये ब्याज के आधिक्य से बैंक अपने विभिन्न व्ययों को पूरा करने के साथ कुछ बचत भी प्राप्त करना चाहता है । बैंक प्रत्येक व्यवहार करते समय इस बात को सुनिश्चित करता है कि उससे उचित आय प्राप्ति की क्या सम्भावना है । तरल विनियोग आय विहीन अथवा बहुत कम आय वाले होते है, लम्बी अवधि के विनियोग लाभदायक होते है परन्तु तरल नहीं होते । बैकों को अपने विनियोगों को इस प्रकार समायोजित करना आवश्यक है। जिससे उसके विनियोगों में तरलता तथा लाभदयकता बनी रहे । लाभदायकता के लिए सुरक्षा का त्याग नहीं किया जाना चाहिए।

बैक ऋण देते समय इस बात को भी ध्यान में रखता है कि ऋण लेने वाला इसे किस उद्देश्य के लिए ले रहा है । बैक को इस बात को भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऋण का दुरूपयोग तो नहीं किया जा रहा है। उत्पादक उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले ऋणों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए अनुत्पादक तथा सटूटे के उद्देश्य के लिए दिए जाने वाले क्रणों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले ऋणोंकी वसूली में कठिनाई पड़ने की सम्भावना रहती है। ऋण लेने का उद्देश्य बैंकर को स्पष्ट होने पर वह ऋणों की आवश्यकता का अनुमान सरलता से लगा सकता है। देश में राष्ट्रीकरण के पश्चात ऋण के उद्देश्य का महत्व बढ़ गया है। बैंकों को अपने कोषों का प्रयोग करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अग्रिम अथवा ऋण प्रदान करने के लिए जो प्रतिभूति उसे प्राप्त हो रही है वह किस प्रकृति की हैं। प्राप्त प्रतिभूति आवश्यकता के समय सुरक्षा प्रदान करती है। अत: बैंकर को प्रतिभूति अवश्य ही प्राप्त कर लेनी चाहिए, केवल उन परिस्थितयों को छोड़कर जहाँ पर सरकार की नीतियों के अनुसरण में इस शर्त का शिथिल कर दिया गया हो । बैंकों के कोष जमाकर्त्ताओं की जमा से बनते हैं, इसलिए बिना प्रतिभूति प्राप्त किए सामान्य अग्रिमों द्वारा उन्हें जोखिम में नही डाला जाना चाहिए । यदि किसी अग्रिम के लिए कोई प्रतिभूति प्राप्त हो रही है ते उसे प्राप्त कर लेना बैंकर के लिए उपयुक्त होता है । इससे उसके द्वारा दिया जाने वाला अग्रिम अधिक सुरक्षित हो जायेगा ।

किसी बैंकर को अपने सारे कोषों को किसी एक ही उद्योग अथवा एक ही प्रकार के व्यवसाय अथवा एक ही प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित नही करना चाहिए । इसके साथ ही बैंकर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने कोषों को एक ही क्षेत्र में विनियोजित न करे। बैंकर द्वारा एक क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय अथवा प्रतिभूति में धन नियोजित करने में अधिक जोखिम रहती है। अत: बैंकर को चाहिए कि वह अपना धन विभिन्न प्रकार की जोखिम रखने वाले व्यवसायों, उद्योगों, प्रतिभूतियों तथा क्षेत्रों में नियोजित करे ।

बैंको द्वारा अपने कोष (रकम) से ऐसी प्रतिभूतियाँ ही खरीदी जानी चाहिए जिन्हें बाजार में सरलता से बिना हानि उठाये बेचा जा सके । इस दृष्टि से स्कन्ध बाजार में बिकने वाली प्रतिभूतियों में रकम लगाना उत्तम रहता है। बैकर को अपनी निधियों का नियोजन करते समय राष्ट्रीय हित तथा देश की आर्थिक नीतियों को भी ध्यान मैं रखना चाहिए । बैको की किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूगिका होती है है। देश के आर्थिक विकास में बैंको की भूमिका को ध्यान मे रखते हुए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे अपनी अग्रिमों का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देगे। इसके साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर बैंको को अग्रिमो के सम्बन्ध में विशेष निर्देश दिए जाते रहते हैं जिनका अनुपालन करना दैको के लिए आवश्यक त्था देश के आर्थिक नीति के अनुरूप होता है। बैंक ऐसी प्रतिभूतियों मे अपनी निधियों को निवेश करे जिनका मूल्य स्थिर हो तथा उनके मूल्य में अधिक उत्तार-चढ़ाव न होते हों। बैकर को विनियोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिभूतियों का विक्रय आसानी से हो सके । बैक का धन ऐसी सम्पत्तियों तथा प्रतिभूतियों में नियोजित किया जाना चाहिए जो आसानी से हस्तात्तरणीय हो।

तालिका सं. 3.6

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लाभदायक विनियोग (निवेश)।

(रू.लाख में)

(कुल लाभकर विनियोग में)

वर्ष	कुल लाभकर विनियोग	मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य	विनियोग	ऋण एवं अग्रिम	मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन का :	विनिोग का प्रतिशत	ऋण एवं अग्रिम का प्रतिशत
1987	10830.76	7362.9		3467.86	67.98		32.02
1988–89	15616.05	11081		4535.05	70.96		29.04
1989–90	20357.36	14834		5523.36	72.87		27.13
1990–91	23820.37	17870		5950.37	75.02		24.98
1991–92	25966.97	16020	4211	5735.97	61.69	16.22	22.09
1992–93	30311.89	22918	1563.95	5829.24	75.61	5.16	19.23
1993–94	36426.36	27812.1	2000	6614.26	76.35	5.49	18.16
1994–95	42437.16	25859.75	8050	8527.97	60.94	18.97	20.09
1995–96	49107.57	28849.75	10549.72	9710.1	58.75	21.48	19.77
1996–97	56474.02	31585	13527.58	11361.44	55.93	23.95	20.12
1997–98	67571.87	40467.63	14446.97	12657.27	59.88	21.38	18.73

श्रोतः—गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न वर्षों का प्रतिवेदन।

उपरोक्त टेबल से ज्ञात होता है कि बेंक में अल्प सुचना पर मांगी गयी धनराशी में यद्यपि 87 से 97 की अवधि में 5 गुना मूल्य की वृद्धि हुई है परन्तु कुल लाभकर विनियोगो के प्रतिशत के रूप में इसमें 68 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत की कमी आई है. इससे संभवता ये संकेत मिलता है की बेंक को तलालता में कमी का सामना भी आपद स्थिति में करना पढ़ सकता है ऋण एवं अग्रिम का प्रतिशत भी 1987 के 32.2 से घटकर 1997 में 18.7 प्रतशत बिंदु पर आ गया है जो बैंक में संभवता तरलता संकट अथवा जोखिम लेने के प्रति संकोच को व्यक्त करता है

बैक कोषों का अलाभदायक सम्पत्तियों में विनियोजन

बेंको को कुछ रकम ऐसे कार्यों में विनियोजित करनी पड़ती है जिससे बैंक को प्रत्यक्ष रूप मे आर्थिक लाभ नहीं होता । इस प्रकार के कार्य मुख्यत: भवन तथा फर्नीचर है। इन कार्यो के अतिरिक्त बेंक को कूछ रकम नकद भी रखनी पड़ती है ताकि धन निकालने वाले ग्राहको की आवश्यकताओं की पूत्ति की जा सके । बेंको द्वारा भवन मे किया जाने वाला विनियोग अलाभकर होता है फिर भी अपने कार्य मे सुविधापूर्वक दंग से चलाने के लिए बैक के पास एक भवन होना नित्तान्त आवश्यक है। प्रत्येक बैक अपने रजिस्टर त्तथा अन्य कागज पन्नों को सुरक्षित रखने के लिए अलमारियों की व्यवस्था करता है तथा ऐसा प्रबन्ध करता है कि उसके रिकार्ड सुरक्षित रह सकें। वास्तव में बैंक के अभिलेख अत्यन्त सुव्यवस्थित रूप से रखे जाने चाहिए ताकि भविष्य में किन्हीं भी पुराने तथ्यों की जानकारी हो सके और भ्रम निवारण में सहायता मिल सके।

बेंक को अपने कुल दायित्वों का एक भाग नकद रूप में भी रखना चाहता है। नकद रकम बेंको की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब बैक के गाहकों को अपनी जमा से रकम निकालनी होती है तब बैंक सर्वप्रथम इस नकद में से ही मुगतान करता है।बैंकिंग नियमन अधिनियम की घारा 24 के अनुसार प्रत्येक दैकिंग कम्पनी को अपने कुल जमा तथा माँग दायित्वों क्रा कम से कम 20 प्रतिशत नकद स्वर्ण अथवा प्रमारहीन अनुमोदित प्रतिमूतियों के रूप में रखना आवश्यक है। बैकिग कम्पनी राशोधित अधिनियम 1962 द्वारा इसे 25 प्रतिशत कर दिया गया है इस प्रकार नकद स्वर्ण तथा प्रततिभूतियों में रखे गये कोषों को सर्वाधिक चल अनुपात कहा जाता है। रिजर्व बैक इस कोष को समय रामय पर बढ़ा सकता है परन्तु पह दर माँग और समय दायित्त्वों का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता । रिजर्व बैक ने फरवरी 1970 में इसे बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया था । इसे समय सयम पर बढ़ाया जाता रहा है 1984 मे इसे 36 प्रतिशत तथा 1985 में 37 प्रतिशत त्था 2 जनवरी 1988 38 प्रतिशत कर दिया गया था। 30 सित्तम्बर 94 को मॉग तथा समय जमाओं पर इसकी दर 25 प्रतिशत निर्धारित की गयी है जो वर्तमान दर है ।

रिजर्व बैंक के साथ नकद कोष- भारत में व्यवसाय करने वाले प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपने माँग और समय दायित्वों का एक निर्दिष्ट प्रतिशत रिजर्व बैक के पास नकद कोष के रूप में रखना आवश्यक है । रिजव बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 (1) के अनुसार प्रारम्भ में अनुसूचित बैंको से यह अपेक्षा की गयी कि वे अपने WW दायित्वों का 5 प्रतिशत तथा समय दायित्वों का 2 प्रतिशत्त रिजर्व बैंक के पास नकद कोष मे रखेंगे ।।956 मे रिजर्व बैक अधिनियम के संशोधन द्वारा रिजर्व बैंक को अधिकार प्रदान किया गया कि रिज़र्व बैंक इस कोष को माँग-दायित्त्वो के संदर्भ में 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है तथा समय दायित्व के न्यूनतम 2 प्रतिशत को 8 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। । 962 में दोनो माँग और समग्र दायित्वों के लिए इस दर का 3 प्रतिशत कर विया गया । इसके साथ यह अधिकार भी न किया गया कि रिजर्व IS रिजर्व बैंक इस दर को 3 प्रतिशत से । 5 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।

अन्य बैंकों में जमा अवशेष- बैंकिंग नियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानो के अनुसार भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बेंको को रिजव बैंक तथा अन्य बैकों के साथ चालू खातों में धन जमा रखना आवश्यक है। बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 24 के अनुसार भारत में कार्यरत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को ऊपने माँग और जमा दांगित्वों का एक अपेक्षित भाग रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बैक के साथ चालू खाता में रखना होगा। यह नकद बैक अपने पास रिजर्व बैक के पास अथवा किसी अन्य बैक के पास चालू खाते में रख सकता है। इस प्रकार प्रत्येक बैंक अपने नकद

कोषो का कुछ भाग अन्य बैंकों के पास रखता है। अन्य बैकों में चालू खातों में जमा धनराशि आवश्यकता के समय उपलब्ध हो जाती है और वैंकों की अर्थ सुलभता मे सहायक होती है। देशो में बैकिंग कानून या अन्य किसी अधिनियम द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि बैक को अपने साधनों का कम से कम अमुक भाग नकद में रखना अनिवार्य होगा। प्राय. अलग-अलग क्षेत्र के बैको द्वारा अलग-अलग दरो पर नकद रकमे रखी जाती है। उन क्षेत्रो के व्यापार, उद्योग तथा निजी आवश्यकताओं के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। कोष की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि बैंक के निक्षेपो का औसत्त आकार क्या है? यदि किसी बैंक में ग्राहको की बड़ी बड़ी रकमें जमा है तो बैक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके

पास नकद कोष इतना हो कि वह बड़ी से बड़ी माँग कि पूर्ति कर सके ।

टेबल से ज्ञात होता है कि गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रागीण वैक को कुल अलाभकर संपत्तियों में नकद रोकड़ का प्रतिशत 1987 में

तालिका सं. 3.3

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अलाभकर निवेश

वर्ष	कुल अलाभकर विनियोग	हाथ में रोकड	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	अन्य बैंकों में चालू खातों में	स्थिर सम्पत्तियां	अन्य सम्पत्तियां स्टेशनरी फर्नीचर आदि	हाथ में रोकड का प्रतिशत	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष का प्रतिशत	अन्य बैंकों में चालू खातों में राशि का प्रतिशत	स्थिर सम्पत्तियों का प्रतिशत	अन्य सम्पत्तियों का प्रतिशत
1987	827.88	90.45	230.17	250.77	21.78	234.71	10.93	27.8	30.29	2.63	28.35
1988-89	1064.14	77.59	394.06	336.84	21.25	234.39	7.29	37.03	31.65	2	22.03
1989-90	1219.49	100.28	472.59	378.47	19.7	248.45	8.22	38.75	31.04	1.62	20.37
1990-91	2264.21	156.8	558.6	660.8	18.86	869.15	6.93	24.67	29.18	0.83	38.39
1991-92	2574.2	206.41	634.4	873.35	19.64	840.22	8	24.6	3.93	0.76	32.71
1992-93	2543.38	178.49	695.6	865.48	20.17	693.64	7.28	28.35	35.03	0.82	28.27
1993-94	2488.15	214.08	830.6	87.69	18.99	552.79	8.6	33.38	3.53	0.76	22.22
1994-95	2943.62	353.51	1010.9	615.06	18.61	947.84	12	34.3	20.88	0.63	32.18
1995-96	4956.48	233.33	1150.6	813.54	35.59	2723.42	4.71	23.21	16.41	0.72	54.95
1996-97	5945.85	441.64	1375.6	1167.05	34.15	2927.41	7.43	23.14	19.63	0.57	49.23
1997-98	7567.47	495.14	1739.39	1173.46	37.21	4122.27	6.54	22.98	15.5	0.49	54.47

श्रोतः–गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन

10.93था जो वर्ष 1994-95 में सर्वाधिक 12% था शेष वर्षो में औसतन 8 प्रतिशत था बेंको में स्थिर परिसंपत्तियों का प्रतिशत नगण्य हैजो सर्वाधिक 1987 में 2.63 प्रतिशत था बाद के वर्षो में इसमें कमी देखने में आई और 97-98 तक यह घटकर मात्र . 49 प्रतिशत रह गया अन्य संपत्तियों का प्रतिशत 1987-97 की अवधि में औसतन 30 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत से भी कुछ अधिक हो गया है केश इन हैण्ड और रिज़र्व बेंक में अतिशेष में भी इसी अवधि में लगभग 4 गुने से अधिक वृद्धि हुई है परन्तु कैश इन हैण्ड कुल लाभप्रद निवेश के प्रतिशत के रूप में थोडा कम हुआ है रिज़र्व बेंक में अतिशेष प्रतिशत के रूप में 89-90 में अधिकतम 38 प्रतिशत को छूने के बाद धीरे धीरे 1997 तक लगभग 20 प्रतिशत तक गिर चूका है ये भी देखने योग्य है है कि अन्य बैंको में रखी जाने वाली धनराशि में आलोच्य अवधि में रूपए के रूप में 250 करोड़ से 1173 करोड़ की वृद्धि हुई है मगर कुल अलाभकर संपत्तियों में निवेश के प्रतिशत के रूप में ये 30 प्रतिशत बिंदु से घटकर लगभग 15 प्रतिशत बिंदु पर आ गया है यानि इसमें 50 प्रतिशत की कमी आई है जो बड़ी कमी है ये भी बैंक के अन्य बांको के साथ समाशोधन पर विपरीत प्रभाव दाल सकती है और तरलता की कमी की और संकेत करती है. । कुल अलाभ कर विनियोग मे कंन्द्रीय बैंक मे जमा का प्रतिशत वर्ष 87 में 27.80 था. यह वर्ष 88-89 मे 37.03 प्रतिशत तेथा वर्ष 89--9 0 मे 38 15 प्रतिशत हे पुन: इसमे वृद्धि हुई है वर्ष 9 4-95 में यह 34.30 95-96 में यह प्रतिशत 23 .2।था । वर्ष प्रतिशत एवं वर्ष 96-97 में 23 ।4 रहा। शुरू के चार वर्षों में चालू खाते का अवशेष लगभग 30-3। प्रतिशत रहा वर्ष 92-93 एवं 93-94 में यह भागीदारी 35 प्रतिशत रही उसके बाद इसमे कमी आयी वर्ष 94-95 में 20.88 एवं वर्ष 96-97 में 9 83 प्रतिशत रहा।बैंक की अन्य सम्पत्तियों म उपाजित ब्याज, स्टेशनरी एवं लेखन सामग्री शामिल है ऋण राहत मी इसीमे शामिल है। इसमे लगा इआ भाग वर्ष 87 में 28.35 प्रतिशत था। वर्ष 88-89 एवं89-90 में इसमें कमी हुई यह क्रमश: 22.03 प्रतिशत एवं 20.37 प्रतिशत रहा। वर्ष 90-95 में इसमे वृद्धि हुई यह भाग 38 39 प्रातिशत हो गया इसका सर्वाधिक माग वर्ष 95-96 में 54.9 प्रतिशत रहा ।

तुलनात्मक विवरण हम निम्नलिखित टेबल के द्वारा बेंक के लाभप्रद एवं अलाभप्रद विनियोज्नो का एक संक्षिप्त तुलनात्मक विवरण प्राप्त कर सकते है

तालिका सं. 3.2

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अलाभकर एवं लाभकर निवेश का विवरण

वर्ष	कुल विनियोग कुल संसाधन	हाथ में रोकड	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	अन्य बैंकों में चालू खातों	स्थिर सम्पतियां	अन्य सम्पतियां	कुल अलाभकर विनियोग	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रायोजक	विनियोग	ऋण एवं अग्रिम	कुल लाभकर विनियोग	अलाभकर विनियोगों का कुल पर प्रतिशत	लाभकर विनियोगों का कुल पर प्रतिशत
1987	11658.65	90.45	230.17	250.77	21.78	234.71	827.88	7362.9	&	3467.85	10830.76	7.1	92.9
1988-89	16680.2	77.59	394.06	336.84	21.25	234.39	1064.14	11081	&	4535.05	15616.05	6.37	93.63
1989-90	21576.85	100.28	472.59	378.47	19.7	248.45	1219.49	14834	&	5523.36	2057.36	5.65	94.35
1990-91	26084.58	156.8	558.6	660.8	18.86	869.15	2264.21	17870	&	5950.37	23820.37	8.68	91.32

1991-92	28541.17	206.41	634.4	873.35	19.64	840.22	2574.2	16020	4211	5735.97	25966.97	9.02	90.98
1992-93	32765.27	178.49	695.6	865.48	20.17	693.64	2543.38	22918	1563.98	5829.94	30311.89	7.49	92.51
1993-94	38914.51	214.08	830.6	87.69	18.99	552.79	2488.15	27812	2000	6614.2	36426.26	6.39	93.61
1994-95	45381.68	353.51	1010.9	615.06	18.61	947.84	2943.62	25859.19	8050	8527.97	42437.16	6.49	93.51
1995-96	54066.05	233.33	1150.6	813.54	35.59	2723.42	4956.48	28849.75	1054.72	9710.1	49409.57	9.17	90.83
1996-97	62419.87	441.64	1375.6	1167.05	34.15	2927.41	5945.85	31585	13527.58	11361.44	56474.02	9.53	90.47
1997-98	75139.34	495.14	1739.39	1173.46	37.21	4122.27	7567.47	40467.67	14446.97	12657.27	67571.87	10.07	89.93

श्रोतः—गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विभिन्न वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका न0 3.2 से स्पष्ट है कि वर्ष । 987 से अब तक कुल विनियोग में क्रमशः वृद्धि की प्रवृत्ति हैं। वर्ष 1987 की तुलना में वर्ष 96-97 में 535 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें अलाभकर विनियोगों में 718.20 प्रतिशत की वृद्धि एवं कुल लाभकर विनियोगों में 521 .42 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं कुल विनियोगों मे लाभकर विनियोग इन वर्षो में 91 प्रतिशत से अधिक रहा ।वर्ष 89-90 में लाभकर विनियोग की प्रतिशत 94.3 5 प्रतिशत रही । अलाभकर विनियोग आलोच्य अवधि में औसत 7-8 रहा । वर्ष 97-98 में कुल संसाधन 751 39.34 लाख रूपये में अलाभकर विनियोग 7567.47 लाख रूपये है जो कुल विनियोग का 10.07 है, एवं लाभकर विनियोजन की राशी 67571.8 7 लाख रूपये है जो कुल संसाधन का 89.33 प्रतिशत है। अलाभकर विनियोजन 10 प्रतिशत एवं लाभकर विनियोजन 7 प्रतिशत के आसपास स्थिर बने हुए है अलाभकर विनियोजानो का कुल प्रतिशत 7 से बढ़कर आलोच्य अवधि में 10 हो गया है और लाभप्रद विनियोजन का कुल प्रतिशत 92 से घटकर 87प्रतिशत हो गया है जो इन बेंको की लाभप्रदता पर कुछ विपरीत प्रभाव डालता है

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है की क्षेत्रीय बैंक का आलोच्य अवधि में लाभप्रद और अलाभप्रद नियोजन का विश्लेषण बैंको में पूँजी और तरलता की कमी की और संकेत करता है इसके मूल भूत कारन जमा आधार का छोटा और अप्रभावी होना तथा ऋण वितरण के लाभप्रद अनुप्रयोगों से वंचित रहना दिखाई पड़ता है बेंक का प्रभावी सञ्चालन और बैंक की जोखिम उठाने की सक्षमता में सुधार अपरिहार्य है।

REFERENCES AND BIBLIOGRAPHY

1. Chaudhary, K., & Sharma, M. (2011). Performance of Indian Public Sector and Private Sector Banks: A Comparative Study. International Journal of Innovation, Management and

Technology, 2(3), 249-256.
2. Haque, A. (2014). Comparison of Financial Performance of Commercial Banks: A Case Study in the Context of India (2009-2013). Journal of Finance and Bank Management, 2(2), 1-14.
3. Ibrahim, M. S. (2011). Operational Performance of Indian Scheduled Commercial Banks-An Analysis. International Journal of Business and Management, 6(5), 120-128.
4. Blank, I. A. Cash flow management: training course. Moscow: Omega-L, 2013
5. Bocharov, V.V. Financial analysis: a short course. St. Petersburg, 2009.
6. Pallavi, & Saluja, R. (2017). Profitability Analysis of Scheduled Commercial Banks in India. IJARIIE, 3(3), 3431-3437.
7. Paul, P. (2015). A Study on Operational Performance of Indian Commercial Banks. IJCEM International Journal of Computational Engineering & Management, 18(4), 2230-7893.
8. Ramachandran, Ismail, S. M. & Kavitha, N. (2006). Journal of management. Journal of Management, 4(1), 1-9.
9. Singh Kheechee, D. (2011). A Comparative Study of Profitability of difference groups of Scheduled Commercial Banks in India. IJMT, 19(1), 62-74.
10. Brealey, R. A., Myers, S. Corporate finance principles. Moscow: ZAO Olimp-Business, 2008.
11. Sudha, D., Kumar, P. V., Rama, K., & Rao, M. (2013). Studies on Growth and Performance of Indian Commercial Banks during Global Economic Recession. IJCEM International Journal of Computational Engineering & Management, 16(6), 39-48. Amity Journal of Finance 39 Volume 3 Issue 1 2018 AJF ADMAA
12. Thakarshibhai, L. C. (2014). A Profitability Analysis of Banks in India. Indian Journal of Research, 3(4), 55-57.
13. Brigham, E., Erhardt, M. Financial management. St. Petersburg: Peter, 2009.
14. Cash flow management: Textbook. Moscow: University textbook: INFRA-M, 2018.
15. Malyadri, P., & S, S. (2015). An Analytical Study on Trends and Progress of Indian banking Industry. Journal of Business & Financial Affairs, 04(01), 1-7.
16. Naser, A. (2014). Financial Performance and Employee Efficiency: A Comparative Study of Indian Banks. Journal of Applied Research, 4(5), 102-104.
17. Yadav, M. (2007). Impact of Non Performing Assets on Profitability and Productivity of Public Sector Banks in India. AFBE Journal, 232-241. Retrieved from http://www.afbe.biz/main/wp-content/uploads/ JournalSplit/AFBEVol4No101.pdf